न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/टीए/5993/2005/चित्तौडगढ

1. सरसी पुत्री सीताराम पत्नि मगनीराम
2. मगनीराम पुत्र मोडा

–समस्त जाति सुथार निवासीगण ग्राम बिनायका तहसील बडी सादडी जिला चित्तौडगढ

3. प्रेमनारायण पुत्र भंवरलाल
4. भैंरूलाल पुत्र भंवरलाल

–समस्त जाति डांगी निवासीगण फाचर तहसील बडी सादडी जिला चित्तौडगढ

5. अमृतराम
6. कैलाशचन्द्र

–पुत्रगण चुन्नीलाल सुथार निवासीगण देवदा तहसील बडी सादडी जिला चित्तौडगढ

.....अपीलांट्स

बनाम

1. मगनीराम पुत्र धन्ना जाति सुथार निवासी ग्राम देवदा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बडीसादडी।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राम निवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अपीलांट्स
श्री पी.एस.दशोरा, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 26–04–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा अपील सं. 202/2004 में पारित किये निर्णय दिनांक 28–9–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने एक राजस्व वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडी सादडी के न्यायालय में अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिनियम की धारा 88, 53, 183 व 188 के तहत वाद पत्र में अंकित कुल किता 7 कुल रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया। उक्त वाद के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत वाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त एवं न्यायालय के पूर्व निर्णय से निषेध होने से रूपये 2,000/– हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावे। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्ष की पक्ष सुनकर वादी के मूल वाद को रेसज्यूडिकेटा से बाधित मानते हुए अपने निर्णय दिनांक द्वारा 12–7–2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने निर्णय दिनांक 28–9–2005 द्वारा स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी बडी सादडी का निर्णय दिनांक 12–7–2004 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि प्रकरण में वादोत्तर पेश होने पर विवाद्यक विरचित कर साक्ष्य लेने के उपरान्त विधि सम्मत निर्णय करें। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–9–2005 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमनें दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 12–7–2004 द्वारा रेसज्यूडिकेटा से वाद को बाधित होना मानते हुए मूल वाद को खारिज किया गया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत एवं गलत तौर पर स्वीकार करने में भारी अनियमितता की है। उनका यह भी कथन है कि वादी द्वारा पूर्व के दावे के तथ्य छिपाकर हस्तगत वाद पेश किया है। अतः स्वच्छ हाथों से वादी ने वाद प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय दिनांक 12–8–2002 द्वारा वादी को नया वाद पेश करने की स्वीकृति नहीं दी है, इस तथ्य को अपीलीय न्यायालय ने नहीं देखा है। उक्त स्थिति में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी का वाद विधि द्वारा स्पष्टतया वर्जित है। उन्होंने बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार नहीं थे, परन्तु आराजी को क्रय किए जाने के कारण नया वादकारण उत्पन्न नहीं हो सकता। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पूर्ववर्ती वाद व वर्तमान वाद की धाराएं अलग–अलग होने से वादी का वादकारण मान लिया गया। जबकि वादी जिस अधिकार से विक्रय पत्र से अपना हक भूमि में मान रहा है, दोनों दावों में कोई अन्तर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन मूल वाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि उपलब्ध दस्तावेजों से परिलक्षित होता है कि रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त वर्तमान वाद में स्पष्ट रूप से लागू होता हैं। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 28–9–2005 निरस्त कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडी सादडी के निर्णय दिनांक 12–7–2004 को यथावत रखने की प्रार्थना की

है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में 2006 (1) आरएलडब्ल्यू राज. 648, 2004 (2) राज. 887, 2003 (1) राज. 01, 2007 (1) 33 के विधिक विनिश्चय प्रस्तुत किए।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट्स द्वारा अपील को निरस्त करने का निवेदन किया। उनका कथन है कि पूर्व वाद तथा वर्तमान वाद में वादकारण भिन्न है। वर्तमान दावा विभाजन का है। उनका आगे कहना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निर्णय वादोत्तर पेश होने पर विवाद्यक विरचित करके ही किया जा सकता है। इस कारण विचारण न्यायालय ने मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर ही वादी के मूल वाद को खारिज कर अनियमितता की है। उनका आगे कहना है कि विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है तथा प्रतिवादीगण आराजी का बेचान कर रहे है। अन्त में उन्होंने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखने की प्रार्थना की है। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 1996 आरआरडी 107, 2010 (1) आरआरटी 89, 2015 (22) आरबीजे 306, 2008 (2) आरआरटी 1041, 2009 (1) डीएनजे राज. 332 के विधिक विनिश्चय पेश किए।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, साथ ही सम्बन्धित रेकार्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध समग्र अभिलेख का गहनता से अध्ययन, अवलोकन एवं मूल्यांकन किया है।

7. प्रश्नगत अपील पूर्व–न्याय (रेसज्यूडिकेटा) के आधार पर प्रदत्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 का सम्बन्धित प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> "Res judicata - No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the **same parties**, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the **same title**, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court."

उपरोक्त प्रावधानान्तर्गत समान पक्षकार के मध्य प्रकरण निर्णित होने की स्थिति में उसी के सम्बन्ध में पुनः वाद का विचारण नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हमने प्रश्नगत प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन किया। वर्तमान अपील में हमारे समक्ष निर्णय का बिन्दु यह है कि क्या वर्तमान वाद पूर्ववर्ती वाद में पक्षकारान के मध्य विवाद का निर्धारण हो जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है ?

8. वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा इसी भूमि के संबंध में पूर्व वाद संख्या 154/1987 बउनवान मगनीराम बनाम सरसी जो कि अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में न्यायालय द्वारा तनकी 1 संख्या इस प्रकार विरचित की गई थीः–

> **''आया वाद की चरण संख्या 1 में अंकित आराजियात वादी अकेले की खातेदारी व वास्ते काश्त की है – वादी''।**

यह तनकी वर्तमान वादी के विवादित आराजी में अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। उक्त वाद को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23–4–1998 द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य निर्विवादित हो जाता है कि वर्तमान वादी उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने हेतु सक्षम नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद की विषयवस्तु में वर्तमान वादी के अधिकारों की घोषणा के क्रम में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है तथा इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वादी नये वाद के माध्यम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के लिए सक्षम नहीं रहा। अपीलीय न्यायालय राजस्व

अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ ने प्रकरण को इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया है कि नये वाद में प्रतिवादीगणों की संख्या अधिक है तथा काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188, 183 भी सम्मिलित है। हम राजस्व अपील प्राधिकारी के इस निर्णय से सहमत नहीं है। क्योंकि वर्तमान वादी का वादग्रस्त भूमि में हितों का निर्धारण पूर्व में हो चुका है। अतः इसी आधार पर पुनः नया वाद लाया जाना धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है। मात्र प्रतिवादीगणों की संख्या अथवा धाराओं के उल्लेख से विवाद की विषयवस्तु परिवर्तित नहीं होती है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उसका समर्थन करने का कोई ठोस आधार हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत अपील में सारवान विधिक बिन्दु उपलब्ध होने के कारण इसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. परिणामतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–9–2005 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडी सादडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–7–2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य